लोक दल

चुनाव घोषणा--पत्र

१९७९

लोकदल का चुनाव-घोषणा-पत्र
1979-80

हमारा देश इस समय कई रोगों से ग्रसित है जैसे भ्रष्टाचार, सार्वजनिक हित के प्रति निष्ठा की कमी, अनुशासन का लगभग पूर्ण अभाव, नैतिक मूल्य के प्रति अनादर, साम्प्रदायिक और जातिगण घृणा, घोर गरीबी और बेरोजगारी तथा धन और आमदनी में चौकाने वाली असमानताएं। जनता प्रशासन में विश्वास बड़ी तेजी से खो रही है और इतनी कटु हो गई है कि हो सकता है, लोकतन्त्री प्रणाली से ही उसका विश्वास उठ जाए। यदि इस स्थिति को और बिगाड़ने दिया गया तो यह दिन दूर नहीं जब इस देश में महात्मा गांधी द्वारा जलाई गई लोकतन्त्र की दीपशिखा बुझ जाए।

अतः लोकदल ने एक ऐसी मजबूत, स्पष्ट और प्रगतिशील नीति को अपनाने का निश्चय किया है जो देश को इस दलदल से निकाल सके। लोकदल देश की जनता के आगे कटु सत्य को रखना चाहता है और उसे राष्ट्र की समस्याओं तथा उनके समाधानों से अवगत कराना चाहता है। हमें उन अनेक झूठे सपनों को छोड़ना पड़ेगा जिन्हें विभिन्न राजनैतिक दलों ने दिखाया है और जिन्हें अब तक हम संजोए हुए हैं। लोकदल की नीतियों और कार्यक्रम का अभिप्राय निहित स्वार्थों पर जबर्दस्त चोट करना, राजनीतिक-आर्थिक प्रणाली का निर्माण, योजना की संकल्पना और प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन, न्याय प्रणाली का नव-निर्माण और उन सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ अभियान जो हमारी परम्पराओं के सच्चे रूप की परिचायक न हो कर वस्तुतः परम्पराओं के स्खलन की परिचायक हैं।

यह बताने की जरूरत नहीं कि लोकदल राष्ट्र की एकता को मजबूत करने तथा उसे बनाए रखने के प्रति सब धर्मों के लिए समान आदर के आदर्श के प्रति, लोकतंत्र के पोषण और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के साथ-साथ समाज-

वादी समाज की स्थापना एवं सामाजिक आर्थिक समानता के आदर्शों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

स्वच्छ और कुशल प्रशासन

1. लोकदल का पहला लक्ष्य है। एक ईमानदार और कुशल प्रशासन जिसमें सरकारी कर्मचारी और सभी व्यक्ति जिन्हें सरकारी कामों का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है न केवल ईमानदार और निष्पक्ष होंगे बल्कि अपने काम में आवश्यक कौशल और श्रम का उपयोग भी करेंगे। यह ऐसा प्रशासन होगा जिसमें देरी, अपव्यय और भ्रष्टाचार नहीं होगा।

2. लोकदल चाहता है कि सरकारी कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिले और उन पर पूरा विश्वास किया जाए किन्तु वह यह भी आग्रह करेगा कि सरकारी कर्मचारी अपने पदों पर अनुशासन का पूरा पालन करे, अन्यथा वे जनता की सेवा भली प्रकार नहीं कर सकेंगे जिसके लिए उन्हें काम पर रखा जाता है।

कुछ अपवादों को छोड़कर देश में टैक्स काटने के बाद न्यूनतम और अधिकतम वेतनों में 1:7.5 के अनुपात से अधिक अन्तर नहीं होगा। अन्य प्रकार की आमदनियों के लिए यथासंभव यह नीति अपनाई जाएगी।

3. भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होकर नीचे आता है और सारे समाज को दूषित करता है, इसलिए जब तक सार्वजनिक जीवन में ऊपर के स्तर पर व्यक्तिगत ईमानदारी का स्तर ऊंचा नहीं होगा, तब तक प्रशासन से भ्रष्टाचार को समाप्त अथवा कम नहीं किया जा सकता। अतः लोकदल विशेष कार्यविधियों को अपनाएगा और विशेष एजेन्सियों की स्थापना करेगा जो गैर-सरकारी पदाधिकारियों के खिलाफ जो जिम्मेदार पदों पर होते हैं विशेषकर मंत्री और विधायक, भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायतों का स्वयं कानूनी नोटिस लें तथा जांच आदि के लिए सरकारी पहल की प्रतीक्षा न करें।

लोकदल भ्रष्टाचार की जड़ों को काटना चाहता है ताकि उसके परिणाम को रोकने या दंडित करने के बजाय उसके कारणों को समाप्त किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए वह निम्नलिखित कदम उठाएगा :

(1) अर्थ-व्यवस्था के दिशा-निर्देश के लिए अनावश्यक कंट्रोलों को समाप्त करना;

(2) विवेक-शक्तियों के प्रयोग के लिए स्पष्ट निर्देश निश्चित करना ताकि उनके दुरुपयोग को रोका जा सके।

(3) भ्रष्टाचार, अकुशलता और भेदभाव के दोषी पाए गए सभी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध चाहे वे राजनैतिक व्यक्ति हों या प्रशासनिक, सख्त कार्यवाही करना।

(4) प्रत्यक्ष कर के आधार को यथासंभव आमदनी से हटा कर खर्च पर किया जाएगा। जन-साधारण अपनी आमदनी से जो बचत करेंगे उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। किन्तु यदि वे अपनी बचत को अपने लड़के-लड़कियों की शादियों की तड़क-भड़क के लिए या विदेश-यात्राओं के लिए खर्च करेंगे तो उन्हें सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। इस प्रकार जो अधिक आमदनी के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं और जोखिम उठाते हैं तथा जो अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए ज्यादा कमाते हैं, उन्हें फायदा होगा और जो ज्यादा खर्च के लिए ज्यादा कमाएंगे उन्हें खर्च पर टैक्स देना पड़ेगा।

इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत दुकानदारों और छोटे धंधे वालों तथा अपना धंधा करने वालों को अपने धंधे में विस्तार करने या दुर्घटना या वृद्धावस्था के लिए जमा की गई आमदनी छुपाने की जरूरत नहीं होगी। करों की चोरी करने की प्रवृत्ति कम होगी तथा भ्रष्टाचार कम होगा।

दूसरे उपाय के रूप में लोकदल कर के वर्तमान कानून की खामियों को दूर करके कर-संग्रह करने वाले तंत्र को अधिक ईमानदार और कुशल बनाएगा। इस समय करोड़ों रुपए का टैक्स अनिर्धारित रह जाता है और सरकार को करोड़ों रुपए का घाटा होता है।

इसके अतिरिक्त लोकदल ऐसे अप्रत्यक्ष करों को कम करेगा जिनका भार विशेष रूप से अपेक्षाकृत गरीब वर्गों पर पड़ता है।

(5) काले धन को समाप्त करने के लिए राजनैतिक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए विशेषकर चुनाव के लिए एक सरकारी निधि का निर्माण किया जाएगा। पार्टी के प्रशासन के लिए निधि का वार्षिक वितरण किया जाएगा और चुनाव के खर्च के लिए चुनाव के मौके पर धन वितरित किया जाएगा। राजनैतिक दलों के लिए अपने हिसाब खातों की लेखा-परीक्षा कराना और उन्हें प्रतिवर्ष प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। कम्पनियों को छोड़ कर अन्य करदाताओं के चंदों को कुछ प्रतिबंधों के साथ उनकी कुल आमदनी से टैक्स के लिए घटा दिया जाएगा।

मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति छिपे कराधान का सबसे निकृष्ट रूप है। यह धनिक लोगों को प्रभावित न करके गरीब लोगों पर इसका भारी बोझ पड़ता है।

लोकदल वर्तमान मुद्रास्फीति के विरुद्ध अपने सभी साधनों का प्रयोग करेगा। पिछले अनेक वर्षों से बजट के बड़े घाटे को सहन करना पड़ा है। और इसका कवर किया जाना बहुत जरूरी है। हम अधिक कीमतों पर अधिक आयात कर रहे हैं। इससे भी कीमतें बढ़ी हैं। संगठित उद्योगों ने मुनाफाखोरी का रास्ता अपनाया है और कीमतों को बढ़ाया है। अन्त में, कमजोर मानसून को देखते हुए व्यापारियों और निर्माताओं ने स्टाक जमा कर लिए हैं। लोकदल वायदा करता है कि वह मुद्रास्फीति के कारण पैदा हुई कठिनाईयों को कम से कम करेगा और पूरे संकल्प के साथ इससे लड़ेगा।

सरकारी खर्चों में किफायत

(1) अनुत्पादक खर्चों को कम करना :

लोकदल उन खर्चों में बचत करने की यथासम्भव कोशिश करेगा जो इस

समय व्यर्थ जा रहे हैं और जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमारी गरीबी और मुद्रास्फीति का मुख्य कारण यह अनावश्यक और अनुत्पादक खर्च ही है।

निधियों के गलत विनियोजन के कारण ही भारत इस समय विश्व का सबसे गरीब देश यदि नहीं तो एक अत्यन्त गरीब देश तो है ही। यद्यपि तीन शताब्दी पहले उसकी स्थिति योरोप की तुलना में बुरी नहीं थी। 1963-64 में भारत की स्थिति प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में विश्व में 85वीं थी। (विकसित और विकासशील दोनों देशों को मिलाकर)। 10 साल बाद अर्थात् 1973-74 में भारत की स्थिति 102वीं से 104वीं हो गई। (श्री लंका और पाकिस्तान की स्थिति भी भारत जैसी ही है) केवल तीन साल बाद 1976 में भारत की स्थिति 111वीं हो गई (10 लाख से अधिक जन-संख्या वाले 125 देशों में)। जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान ने अपनी 1973 की स्थिति को बनाए रखा।

गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या के संबंध में याजना आयोग के नवीनतम आँकड़े (1978) सब के लिए चिंता का विषय हैं। अब आयोग का अनुमान है कि देहाती और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों का प्रतिशत 47.65 और 40.71 है। यह अनुमान प्रत्येक ग्रुप के लिए 1976-77 की कीमतों पर अधारित है। 61.80 और 71.30 रुपए की प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च पर आधारित है। दोनों का औसत 46.43 बनता है। जो यह दिखाता है कि इस दशक के शुरू के अनुमानों की तुलना में इस समय गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है।

लोगों के रहन-सहन के स्तर में तेज गति से सुधार लाने की उम्मीदों को सबसे बड़ा धक्का केन्द्र और राज्यों में अफसरशाही की गैर-अनुपातिक वृद्धि से पहुँचा है।

लोकदल का यह लक्ष्य है कि वह अनुत्पादक पदों की वृद्धि को रोकेगा। और राज्य सरकारों से भी ऐसा करने को कहेगा। इस प्रकार जो रुपया सरकारी कर्मचारियों को अधिक से अधिक वेतन देने में खर्च होता है वह

आर्थिक विकास में लगेगा। जिसमें अधिक आर्थिक उद्योगों का निर्माण, नहरों और ट्यूबवेलों, गोदामों और शीतागारों का निर्माण शामिल है।

2. सरकारी क्षेत्र

राष्ट्र के सीमित वित्तीय साधनों के अपव्यय का एक और बड़ा स्रोत सरकारी क्षेत्र का कुप्रबंध है। 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसरण में भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र में बड़े और भारी उद्योगों की स्थापना का निर्णय किया था। और बाद में कुछ वर्तमान गैर-सरकारी उद्योगों का राष्ट्रीय-करण किया था। 1971-72 तक सरकारी क्षेत्र के निगमों ने वर्षदर वर्ष भारी नुकसान दिखाया। इन निगमों का निवेश 29 करोड़ से बढ़कर (पहली पंच वर्षीय योजना के शुरू में) मार्च 1972 में 5,502 करोड़ और 1978-79 में लगभग 14,800 करोड़ हो गया।

सरकारी सैक्टर की इस असफलता के कई कारण हैं—जैसे मंत्रियों और अफसरशाही का दिन-प्रतिदिन के कामों में अधिक हस्तक्षेप, एक मजबूत प्रबंध सेवा का निर्माण न कर पाना जो इस तरह के हस्तक्षेपों का विरोध कर सके, निजी क्षेत्रों की तुलना में सरकारी क्षेत्रों के प्रबंधकों को कम वेतन मिलना जिसके कारण सरकारी क्षेत्रों में अच्छे और योग्य लोगों को आकृष्ट करना अत्यन्त कठिन हो जाता है।

लोकदल सरकारी उद्योगों की स्वायत्तता को बहाल करने और उसे मजबूत करने का वायदा करता है और साथ ही वह कर्मचारियों और प्रबंधकों के कार्यों और गलतियों की पूरी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए उचित कदम उठाने का वचन भीं देता है। किंतु यदि इसके बावजूद कोई उद्योग लगातार घाटा उठाता रहेगा तो लोकदल उसे बंद कर देगा। बशर्ते कि वह उद्योग अर्थव्यवस्था के मूल ढाँचे का एक हिस्सा न हो।

भविष्य में सरकारी क्षेत्र में जो परियोजनाएं और उद्योग स्थापित किए जायेंगे वे ऐसे ही उद्योग होंगे जो इन्फ्रा-स्ट्रक्चर (मूल व्यवस्था) के अंग होंगे जैसे सड़कें, रेल, सिंचाई, परमाणु अनुसंधान और परमाणु ऊर्जा अथवा जो

राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के अनुरूप होंगे जिनपर राज्य का स्वामित्व रहना जरूरी है या जिनका जैस्टेशन पीरियड लम्बा होने के कारण तथा निवेश अधिक और आमदनी कम होने के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र पूंजी लगाने को तैयार ना हो।

(3) विलास की वस्तुएं और अनावश्यक वस्तुएं

जब तक हमारे देश के सभी लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हो जातीं तब तक लोकदल सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में निजी उपभोग की विलास की वस्तुओं और अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण और निवेश पर पूरा प्रतिबन्ध लगाएगा। जैसे रेफ्रिजिरेटर, टी०वी० सेट आदि।

इस सूची में गगनचुंबी इमारतों का निर्माण बहुमूल्य यात्री-वाहनों का निर्माण, शराब के कारखाने और केसीनों आदि जोड़े जा सकते हैं। इस तरह की नीति से एक सादगी संयम और समता का वातावरण बनेगा। और आर्थिक विकास के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध होंगे।

कानून और व्यवस्था

जब तक प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने जीवन, संपत्ति, सम्मान और धर्म के विषय में प्रशासन की निष्पक्षता और न्यायसंगतता का विश्वास नहीं हो जाता और उसे सुरक्षा का बोध नहीं होता तब तक सच्चे अर्थ में शांति नहीं हो सकती और समाज सुखी नहीं हो सकता। इस संदर्भ में लोकदल अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की ओर विशेष ध्यान देगा।

लोकदल नागरिकों के लोकतंत्रीय अधिकारों को दबाकर और पुलिस की लाठी का शासन चलाकर तथा बड़ी सुबह लोगों के दरवाजे पर दस्तक देकर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने एवं देश में अनुशासन व्यवस्था लागू करने के हक में नहीं है। किंतु जब राष्ट्रीय हित और जनता के हित में जरूरी होगा वह अपराधियों, आर्थिक अपराधियों और समाज विरोधी तत्वों को दंडित करने के लिए विशेष अदालतों आदि के असाधारण कानूनों का सहारा लेने से कतई नहीं हिचकिचाएगा।

लोकदल विकेन्द्रीकरण की नीति का अनुसरण करते हुए प्रयोग के तौर पर कुछ बड़े जिलों में यह व्यवस्था करेगा कि स्वशासी निकाय जैसे जिला परिषद, गांवों में पुलिस की भर्ती कर सके और उसे गांव के हित में इस्तेमाल कर सके। तथापि स्थानीय पुलिस दल को और मजबूत बनाने के लिए राज्य के स्तर पर पुलिस का संगठन बनाए रखा जाएगा जो वर्तमान प्रदेश सशस्त्र पुलिस के जैसा होगा। इस प्रस्ताव का औचित्य यह है कि केन्द्रीकृत पुलिस प्रशासन गांव को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकता है। इसके विपरीत वह जनता में भय की भावना पैदा करता है।

नगरों में उग्र अपराधों का एक नया रूप सामने आया है। जिसका लक्ष्य विशेषकर मध्यवर्ग के लोग हैं। इस खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने के लिए गश्त संचार और अपराध रोकने के तरीकों के उद्देश्य से पुलिस के संगठन में आमूल परिवर्तन करना जरूरी है। लोकदल नगर पुलिस की व्यवस्था को और अपराधों को रोकने के तरीकों को पूरी तरह बदलेगा।

न्यायिक सुधार

लोकदल वर्तमान न्यायिक प्रणाली में जो अंग्रेजों से थोक में उधार ली गई है आमूल परिवर्तन करेगा। वर्तमान प्रणाली के फायदों को बनाए रखते हुए और दोनों पक्षों का पूरा मौका देते हुए लोकदल क्रियाविधि संबंधी कानून में सुधार करेगा और जहां आवश्यक होगा तात्विक कानून में भी परिवर्तन करेगा ताकि विलम्ब, गलतबयानी, भ्रष्टाचार और अनावश्यक खर्चों को कम से कम किया जा सके। पिछले अनेक वर्षों में जब व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनी न्यायिक सुरक्षाओं का न्यायिक प्रक्रिया को बेअसर करने में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस संदर्भ में वर्तमान कानून और व्यवहार की विशेषज्ञों से जाँच कराई जाएगी।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए लोक-दल जजों की उन्नति और नियुक्ति से संबंधित नियमों और कानूनों में संशोधन करेगा ताकि इसमें योग्यता, ईमानदारी अनुभव के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों को समाप्त किया जा सके।

लोकदल यह नियम भी बनाएगा कि किसी जज को सेवा-निवृत्ति के बाद सरकारी या गैर-सरकारी, राजनैतिक या गैर-राजनीतिक किसी भी पद पर दोबारा नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो जजों के वेतन, पेंशन तथा अन्य लाभों में वृद्धि की जाएगी।

लोक-दल का मत है कि सभी दीवानी मामले और छोटे अपराधों के मामले जैसे चोरी आदि न्याय पंचायतों द्वारा ही निपटाए जाएं। ब्रिटिश साम्राज्य शाही से विरासत में मिले वे सभी नियम-कायदे जो इस समय हमारी सिविल और क्रमिनल दण्ड संहिताओं में तथा साक्ष्य नियमों में हैं, भारत की जरूरतों के अनुरूप नहीं है। पुराने जमाने में न्याय-पंचायतें अपने तरीकों से औचित्य न्याय तथा जमीर के आधार पर मामलों को निपटा कर अच्छा न्याय देती रही हैं। अतः इस पुरानी प्रणाली को वर्तमान परिस्थितियों के आलोक में संशोधित कर फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। और इस प्रकार वर्तमान श्रेणीबद्ध व्यवस्था और कानून प्रणाली का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

चुनाव प्रणाली

लोकदल का विश्वास है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बिना लोकतंत्र एक तमाशा बन जाता है अतः लोक-दल चुनाव प्रणाली में सुधार करेगा।

प्रेस की स्वतंत्रता

एक सतर्क प्रेस व्यवस्था लोकतंत्र की मूलभूत शर्त हैं। लोक-दल के लिए प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण आदर्श है। लोक-दल प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय में एक विशिष्ट गारंटी का समावेश करना चाहता है। लोक-दल सूचना की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए भी कदम उठाएगा।

चरित्रहनन और झूठे प्रचार को रोकने के लिए लोकदल प्रेस को स्वनियामक व्यवस्था बनाने में मदद करेगा।

राजनीतिक आन्दोलनों के तरीके

लोकदल लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखने और उसे मजबूत करने का हामी है और इसलिये वह कोई ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेगा जो इन्हें नुकसान पहुँचाए। लोकदल सभी साधनों से जनता को शिक्षित करेगा जैसे जनसभाएं, संसद—और विधानसभाओं में भाषण, अखबारों में लेख, अपने दैनिक या साप्ताहिक पत्र शुरू करना, पैम्फलेट छापना, प्रदर्शन आदि जिनके माध्यम से वह लोगों की शिकायतों को दूर करने और अन्याय से लड़ने का काम कर सके।

यद्यपि लोकदल हर अवसर पर सत्याग्रह और कानून को तोड़ने का सहारा लेने पर विश्वास नहीं करता तथापि यदि कोई सत्ताधारी दल विरोध के स्वर को दबाएगा या नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचलेगा, जो स्वतंत्र समाज का आधार है तो लोकदल सिविल नाफरमानी का आंदोलन चलाने से नहीं हिचकिचाएगा ताकि सरकार को लोकतंत्री रास्ते पर लाया जा सके।

अन्तर्राज्यीय विवाद

अब तक राज्यों के आपसी विवाद अनिश्चित काल तक टाले जाते रहे हैं और खूनखराबे तथा हिंसा के बाद अस्थाई तौर पर सत्ताधारी दल के राजनीतिक लाभों को ध्यान में रखकर समझाए जाते रहे हैं। लोक-दल तत्काल संविधान के अनुच्छेद 363 के अंतर्गत जो इस तरह के विवादों को हल करने के लिए रखा गया है, एक आयोग की नियुक्ति करेगा। सभी अंतर्राज्यीय विवाद चाहे वे सीमा के सम्बन्ध में हों या नदियों के पानी के उपयोग, बिजली के उत्पादन आदि के सम्बंध में हों इस आयोग को सौंपे जाएंगे जिसका निर्णय केन्द्रीय सरकार सहित सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

लोकदल का आर्थिक दर्शन

लोकदल ऐसी किसी व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता जिसमें किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की आर्थिक आवश्यकताओं का शोषण करने का निर्बाध अधिकार मिले अथवा जिसमें राज्य को समग्र जनता की आर्थिक

स्वतंत्रता को छीनने या उसे दबाने का असीमित और निरंकुश अधिकार प्राप्त हो।

गांधी-मार्ग

लोकदल मध्यवर्ती गांधी मार्ग पर विश्वास करता है अर्थात् ऐसी अर्थ-व्यवस्था जो स्वनियोजन पर अधिकाधिक निर्भर हो। वह ऐसी छोटी संपत्ति पर विश्वास करता है जिसमें शोषण संभव न हो या वह कम से कम हो। वस्तुतः संपत्ति का व्यापक वितरण ही लोकतंत्र की सुरक्षा की गारंटी है।

यदि गरीबों के और अधिक गरीब होने और धनियों के और अधिक धनी होने के दुष्चक्र को रोकना है तो गांधी जी के आदर्शों के अंत्योदय और सादगी तथा संयम के जीवन को अपनाना जरूरी होगा। अतः लोकदल रोजगार के अधिकार का समर्थन करता है। इस आदर्श को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम ऐसी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना करें। जिसमें कृषि कुटीर उद्योग तथा अन्य श्रम-प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता मिले और इन्हें बड़ी मशीनों और बड़े नगरों का शिकार न बनना पड़े। निजी पूंजीवाद की बुराइयों से बचने का और साथ ही सरकारी पूंजीवाद से बचने का एकमात्र साधन पूर्ण रोजगार को सुनिश्चित करना है। आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के लक्ष्य को गांधी जी के इस आदर्श से ही प्राप्त किया जा सकता है कि जो वस्तु विकेन्द्रीकृत उद्योग द्वारा कुशलतापूर्वक बनाई जा सके उसका उत्पादन विकेन्द्रीकृत उद्योग ही करें। राष्ट्र की समग्र आर्थिक नीति के पीछे यही भावना होनी चाहिए। धन के केन्द्रीकरण और आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए लोकदल गांधी जी के ट्रस्टीशिप आदर्श को भी प्रयोग में लाएगा।

स्वरोजगार अर्थ-व्यवस्था

इन आदर्शों का अनुसरण करते हुए लोकदल एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था की स्थापना के लिए काम करेगा जिसका आधार स्वरोजगार में लगे व्यक्ति होंगे। इस व्यवस्था में :

(क) (1) कृषि के क्षेत्र में भूमि की एक इकाई में अधिक उत्पादन होगा क्योंकि भूमि हमारी परिस्थितियों में सीमित तत्व है और इसलिए वह श्रम और पूंजी की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है।

(2) उद्योग के क्षेत्र में पूंजी-निवेश की प्रति इकाई पर अधिक उत्पादन होगा क्योंकि पूंजी अपेक्षाकृत दुर्लभ है और इसलिए श्रम की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है।

(ख) कृषि के क्षेत्र में भूमि की प्रति इकाई पर अधिक रोजगार उपलब्ध होगा, क्योंकि हमें बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार देना है और बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है।

(ग) एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच आमदनी की असमानता कम होगी क्योंकि आमदनी की असमानताओं के कारण समाज में तनाव बढ़ता है

और

(घ) आदमी द्वारा आदमी के अधिकतम शोषण को रोका जाएगा क्योंकि आर्थिक शोषण का परिणाम राजनीतिक शोषण होता है और यह लोकतंत्र के विरूद्ध जाता है।

ये शर्तें छोटे फार्म, हस्त-शिल्प उद्योग और कर पूंजी वाले छोटे उद्योगों की स्थापना द्वारा पूरी हो सकती हैं।

कृषि का महत्व

एक समृद्ध और विकासशील कृषि क्षेत्र ही निम्नलिखित जरूरतें पूरी कर सकता है।

(क) विनिर्माण उद्योग के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध कराना।

(ख) कारखानों, वाणिज्य, परिवहन तथा बिजली उत्पादन व शिक्षा आदि सेवाओं के लिए और सड़क निर्माण, रेलवे, बंदरगाह और कारखानों को चलाने के लिए श्रमिक उपलब्ध कराना;

(ग) उपर्युक्त सेवाओं और उद्योगों में लगे श्रमिकों तथा आम-जनता को खाद्य-पदार्थ उपलब्ध कराना।

(घ) गैर-कृषि वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार उपलब्ध कराना, क्योंकि कृषि उत्पादन के बढ़ने से किसानों की क्रय-शक्ति अधिकाधिक होती जाएगी।

ग्रौर ग्रंत में

(ङ) गैर-कृषि वस्तुग्रों ग्रौर मशीनों के ग्रत्यंत ग्रावश्यक ग्रायात के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना। ग्राज भी कृषि उत्पाद हमारे निर्यात का बहुत बड़ा ग्रंश बनते हैं।

यदि हम बड़ी मात्रा में खाद्य-वस्तुग्रों का उत्पादन करें ग्रौर ग्रतिरिक्त खाद्य वस्तुग्रों को ग्रन्य देशों में निर्यात करें जहां निकट भविष्य में खाद्य वस्तुग्रों की कमी होगी तो हमारी ग्रधिकांश ग्रार्थिक समस्याएं ग्रपने ग्राप सुलझ जाएंगी।

ग्रत: लोकदल कृषि के विकास को पहली प्राथमिकता देगा क्योंकि इसके बिना देश का ग्रार्थिक विकास नहीं हो सकता है।

चूंकि भूमि के क्षेत्र को बढ़ाना संभव नहीं है ग्रौर कृषि में अधिक श्रमिकों को लगाना भी व्यक्तिगत ग्रौर सामूहिक हित में नहीं होगा ग्रत: प्रकृति ग्रौर इतिहास से मिले सीमित भू-क्षेत्र को ग्रधिक से ग्रधिक उत्पादन के काम में लाना होगा। इसका ग्रर्थ है कि भूमि ग्रौर श्रमिक का जो निम्न ग्रनुपात इस समय है ग्रौर जो जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रौर भी घटता जा रहा है उसे जमीन में ग्रधिक पूंजी लगाकर ठीक किया जाना चाहिए जिसके लिए हमें उन तकनीकों का प्रयोग करना होगा जो निरंतर विकसित वैज्ञानिक जानकारी का फल है।

ग्रत: लोकदल की कोशिश होगी कि ग्रधिकाधिक किसानों तक सरकार के पास उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी को तथा पूंजी को (चाहे वह साधनों की सुविधा के रूप में हों—जैसे ग्रच्छे बीज, खाद सिंचाई-साधन ग्रथवा उचित भाव के रूप में हों) पहुँचाया जाए। ग्रौर कृषि के विकास के लिए ग्रपनी सारी शक्तियों का उपयोग किया जाए। छोटे ग्रौर सीमांत किसानों को सस्ती दरों पर ऋण सुविधाएं दी जाएंगी।

भूमि श्रम ग्रौर पूंजी से बेहतर उपयोग के लिए किसान के बिखरे हुए खेतों को एक या दो बड़े भूखण्डों में चकबन्दी करने की योजना को लागू किया जाएगा ग्रौर उसे सारे देश में मुस्तैदी के साथ ग्रपनाया जाएगा। ग्रब तक यह सुधार केवल पंजाब, हरियाणा ग्रौर उत्तर-प्रदेश में किया गया है।

सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोगों के लिए अधिगृहीत कृषि भूमि का इस्तेमाल यदि निर्धारित अवधि में न हो तो उसे मूलधारक को वापस कर दिया जाएगा या इसे लीज पर दे दिया जाएगा।

पिछले वर्षों में भू-क्षरण को रोकने की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। यदि यह वर्तमान गति से चलता रहा तो भूमि बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और उसमें कोई फसल नहीं उगाई जा सकेगी। इस प्रकार भू-संरक्षण एक महत्वपूर्ण काम है। भले ही वह भूमि उपयोग से अधिक महत्वपूर्ण न हो। भूमिराष्ट्र के अस्तित्व का आधार है। अतः लोकदल देश में भूमि-संरक्षण के लिए सभी उपाय करेगा।

खाद्य-वस्तुओं का वितरण और कीमतें

खाद्य समस्या के सम्बन्ध में लोकदल का प्रस्ताव है कि खाद्य की कमी के दिनों में बड़े किसानों से अतिरिक्त अनाज की मात्रा को लेवी के द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा और शेष को व्यापारियों के लिए छोड़ दिया जाएगा। किसान को दी जाने वाली कीमतें बीज खाद आदि की कीमतों को ध्यान में रखकर निश्चित की जाएंगी। न्याय बतौर किसान को अपने उत्पादन की जो कीमत मिले उसका आधार समता के इस सिद्धांत पर होना चाहिए कि उसके उत्पादन का बिक्री-मूल्य उसके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं के मूल्य के समान हो। राज्य अभिकरण किसान के हित को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करके यह सुनिश्चित करेंगे कि किसान को मजबूरी में कम दामों पर अपने उत्पाद न बेचने पड़ें। किसानों को अपने उत्पादन के लिए भी जो कम अथवा असमान कीमतें मिलती हैं उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र से बाहर जाने वाले साधन सरकारी निधि के रूप में कृषि या अन्य सम्बद्ध कार्यों में आने वाले साधनों की अपेक्षा बहुत अधिक हाते हैं।

गाँव में बिजली विस्तार

अंत में लोकदल प्रत्येक गाँव में बिजली पहुँचाएगा ताकि उसकी मदद से कृषि उत्पादन बढ़े। अधिक से अधिक किसान और अन्य व्यक्ति गैर-कृषि धंधों में पूरे समय के रोजगार या पूरक रोजगार के रूप में लगें और गांव वालों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों।

ऊर्जा के स्रोत

लोकदल ऊर्जा के वैकल्पिक और सस्ते स्रोतों के विकास को सबसे अधिक महत्व देता है। यह विकल्प पैट्रोलियम तथा पनबिजली और कोयला-बिजली पर आधारित वर्तमान विकल्प का स्थान ले सकता है। बायोगैस और सौर ऊर्जा के विकास तथा ऊर्जा उत्पादन की छोटी इकाइयों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे लोग केन्द्रीकृत ऊर्जा-प्रणाली के ऊपर निर्भर न रहें।

पर्यावरण

समय के साथ-साथ हमारा पर्यावरण अधिकाधिक दूषित होता जा रहा है। गांवों में पेय-जल साधनों के जल-स्रोतों के असुरक्षित होने के कारण और सफाई की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण लोगों को बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। अनेक शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकप्रदूषण इतना बढ़ गया है कि एक खतरनाक स्थिति हो गई है और गरीब बस्तियों में साफ-सफाई बहुत अपर्याप्त है। लोकदल पर्यावरण की व्यवस्था के लिए एक सशक्त नीति अपनाएगा।

हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट क्षेत्र में वन-रोपण, भू-संरक्षण और जल प्रबन्ध का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा होगी और साथ ही रोजगार, वन-उत्पाद और पन-बिजली का उत्पादन भी होगा। इसके अतिरिक्त इससे विस्तृत मैदानी क्षेत्र के जल-साधनों और भूमि की रक्षा भी होगी।

भूमि-सुधार

लोकदल का विश्वास है कि कृषि में पूंजी-निवेश और नयी तकनीकों के प्रयोग के अतिरिक्त एक और तत्व भी है जो उत्पादन को बढ़ा सकता है जैसे किसान का मनोविज्ञान। यदि किसान को अपनी जमीन का मालिक बना दिया जाए तो उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे सबसे बड़ी प्रेरणा मिलेगी। अतः लोकदल खेत की इजारेदारी के स्थान पर किसान के स्वामित्व को लाएगा जिसका अर्थ है कि लोकदल जमींदारी प्रथा का, जहाँ कहीं भी वह इस

समय देश में है, पूरी तरह उन्मूल न करना चाहता है। भूमि पर खेती करने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वर्तमान कानून के मुताबिक कुछ भी हो, भूमि के स्थाई अधिकार दिए जाएंगे और उसका राज्य से सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाएगा। किसी बिचौलिए या जमींदार को इजारेदार से अपनी काश्त के लिए जमीन वापस लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और किसी किसान को अपनी भूमि को पट्टे पर देने नहीं दिया जाएगा। जब तक कि वह किसान सशस्त्र सेना का सदस्य नहीं होगा या मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ अथवा अपंग होने के कारण खेती करने के अयोग्य नहीं होगा।

भूमि-सुधार कानूनों को संविधान की नवीं अनुसूची में रखा जाएगा ताकि उन्हें अदालतों में दी जाने वाली चुनौती से बाहर रखा जा सके। भूमि-सुधार कानूनों को चकमा देने के लिए जमींदारों द्वारा किए गए बेनामी सौदों पर पुर्नविचार किया जाएगा।

देश के अनेक शहरी क्षत्रों में कुछ लोग अब भी उन भूखण्डों के मालिक नहीं हैं जिनके ऊपर उनका घर बना हुआ है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें निजी मकान मालिकों की तरफ से परेशानी और जबरन वसूली का शिकार होना पड़ता है। लोकदल ऐसे सभी व्यक्तियों को भूखण्डों का मालिक बनाएगा।

यहां तक तथ्य का उल्लेख खेद के साथ करना पड़ता है कि पिछले तीस वर्षों में (1947 से 1977 तक) अपनाई गई कुछ गलत नीतियों के परिणाम स्वरूप भू-धारिता की असमानताएं (दूसरे शब्दों में ग्रामीण क्षेत्रों में धन और आय की असमानताएँ) विदेशी शासन काल की अपेक्षा बढ़ी हैं (उस समय के कुछ बड़े जमींदारों के लिए उचित छूट देने के बाद भी)। ये गलत नीतियां हैं—(क) भूमि-सुधार की नीतियों की कुछ कमजोरियां—जैसे उन इजारेदारों को स्थायी अधिकार न देना जो 'सीर' के टैनेंट या शेअर-क्रॉपर, सब टैनेंट और असली टैनेंट होते थे और जिन्हें रिकार्ड में ट्रेस पासर्ज लिखा जाता था या ऐसे टैनेंट जिनके नाम राजस्व अभिलेखों में लिखे ही नहीं जाते थे। इसी तरह जमींदारों का यह अधिकार कि वह इजारेदारों से स्वयं खेती करने के लिए 30 से 60 एकड़ जमीन को वापस ले सकते हैं। (ख) कई नीतियों को लागू

न करना, उदाहरण के लिए भूमि सीमा सम्बंधी कानून । संभवतः उत्तरप्रदेश ही इसका एकमात्र अपवाद है ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 17वेंचक्र में यह दिखाया गया है कि1660-61 में देश में 52.9 मिलियन आपरेशनल भूखण्ड थे (50.8 मिलियन ग्रामीण और 2.1 मिलियन शहरी । 26वें चक्र में (1970-71 की अवधि) में यह दिखाया गया है । 10 सालों में यह संख्या 59.3 मिलियन (57.1 मिलियन ग्रामीण और 2.2 मिलियन शहरी) हो गई । इससे भी बुरी बात यह्र हुई कि यह बिखराव निचले सिरे पर हुआ, जहां 1660-61 में 39 प्रतिशत भूखंड एक हैक्टेयर से कम क्षेत्र के थे । इतना ही नहीं 1661-1971 की जनगणना रिपोर्टों में यह दिखाया गया है कि कृषकों और कुल श्रमिकों का प्रतिशत देश में 1961 के 51.10 से घटकर 1971 में 43.34 रह गया । इसी अवधि में कृषि-मजदूरों का प्रतिशत 16.87 से बढ़कर 26.33 हो गया ।

1972 और 73 में बनाए गए भूमि सीमा संबंधी अनेक कानूनों से भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया । सरकारी आँकड़ों के अनुसार 1979 के फरवरी और मार्च महीनों में 53.75.000 एकड़ भूमि के अतिरिक्त होने का अनुमान था कितु इसमें से 40,66,000 एकड़ भूमि को वास्तव में घोषित किया गया और केवल 22,84,000 एकड़ भूमि को सरकार ने अपने कब्जे में लिया । इस क्षेत्र में से 15,89,000 एकड़ भूमि को 10,90,500 व्यक्तियों में वितरित किया गया जिनमें से 4,38,000 अनुसूचित जातियों को और 1, 41,000 अनुसूचित जातियों को जिन्हें कुल 44 प्रतिशत क्षेत्र मिला और शेष 56 प्रतिशत क्षेत्र दूसरों को दिया गया । एक राज्य में [गुजरात] 5,0000 एकड़ में से एक भी एकड़ को अतिरिक़्त घोषित नहीं किया गया और न वितरित किया गया ।

लोकदल की राज्य सरकारें इस स्थिति को यथासम्भव सुधारने की कोशिश करेंगी ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

मुद्रास्फीति और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जनसाधारण की

रक्षा करने के लिए एक कारगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसमें शहरी और देहाती गरीब वर्गों को ध्यान में रखा गया हो एकमात्र उपाय है। इस प्रकार की कारगर वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न, दालें, चना और तिलहन के बड़ी मात्रा में अतिरिक्त भण्डार बनाए जाने चाहिएँ।

औद्योगीकरण का ढाँचा और रोजगार

चूँकि आद्योगीकरण में मानव श्रम के स्थान पर मशीनों का उपयोग किया जाता है और इन मशीनों द्वारा कच्चे माल को बदल कर तैयार वस्तुओं के रूप में मनुष्य के लिए उपलब्ध कराया जाता है, हमारे देश में औद्योगीकरण का ढाँचा इस बात पर निर्भर करेगा कि कच्चा माल या कृषि के अतिरिक्त उत्पाद कितनी मात्रा में देश में उपलब्ध हैं और इन अतिरिक्त उत्पादों या पूंजी का श्रम के साथ क्या अनुपात है। हमारे देश में औद्योगिक उत्पादों के दो कारकों, पूंजी और श्रम में से श्रम मशीनों की अपेक्षा सस्ता है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारी नीति ऐसी हो जिसमें पूंजी साधनों का उपयोग कम हो चाहे श्रम के साधनों का अपव्यय क्यों न करना पड़े। यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजी अधिकतम प्रतिफल दें भले ही श्रम का प्रतिफल उतनी मात्रा में न हो। ये ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जिसका आधार श्रमप्रधान और पूंजी की बचत करने वाले तकनीकों के उद्योग ग्रामीण इलाकों में फैले होंगे, न कि बड़े पैमाने पर ,उद्योग जो सुचालित, बहुमूल्य मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और श्रम की अपेक्षा पूंजी पर अधिक निर्भर हैं और जो आमतौर पर तथा अनिवार्य तौरपर शहरी केन्द्रों में स्थापित करना पड़ता है।

हमारी परिस्थितियों में देश की बढ़ती हुई आबादी परिसम्पत्ति न होकर बहुत बड़ी देनदारी है। अनुमान है कि वर्तमान गति पर देश की जनसंख्या सन् 2000 में 95 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। अगले 20वर्षों में श्रमिकों की संख्या में 10 करोड़ की वृद्धि होगी। इनमें श्रमिकों को शहरों में नहीं खपाया जा सकेगा जो इस समय भी अन्य परम्परागत धंधों से आने वालों के शिविर स्थल बने हुए हैं। इस समय शहरी क्षेत्रों में ही 14 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और पिछले वर्ष जब कि केन्द्रीय सरकार ने 2.2 लाख अधिक लोगों को काम पर लगाया, 27 लाख लोगों ने रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाए।

अतः कुछ अपवादों के साथ जो दश के दीर्घकालीन हित को देखते हुए करने पड़ सकते हैं, हमारे औद्योगिक ढाँचे में बड़े पैमाने के उद्योग, कुटीर और छोटे उद्योगों के आधार पर ही खड़े हो सकते हैं। ये क्रम इसलिए भी अधिक वांछनीय हैं क्योंकि एक अवस्था दूसरी अवस्था के लिए बाजार उपलब्ध करवाती है बड़े पैमाने के उद्योग कुटीर और छोटे पैमानों के उद्योगों की नींव पर विकसित होंगे (ये छोटे उद्योग अधिकतर उपभोग की वस्तुएं बनायेंगे) और उनकी जरूरतों और मांगों के अनुसार अपना निर्माण करेंगी जब कि छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग, कृषि के अतिरिक्त उत्पादों के आधार पर बढ़ेंगे (कृषि उत्पादों में भूमि, पशु और खानों से प्राप्त खाद्य पदार्थ शामिल हैं) । इस प्रकार श्रम प्रधान तकनीकोंसे पूंजी प्रधान तकनीकों का विकास उस दर से निश्चित होगा जिस दर पर कृषि क्षेत्र से मुक्त-श्रम की तुलना में अधिकाधिक पूंजी उद्योग में लगने के लिए उपलब्ध होगी।

अतः लोकदल का प्रस्ताव है कि भविष्य में ऐसी वस्तुओं के निर्माण के लिए जिन्हें छोटे और कुटीर उद्योगों में बनाया जा सकता है, पूंजी प्रधान उद्योगों को न स्थापित किया जाएगा और न स्थापित करने दिया जाएगा।

कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जा सकता है जिसे एक परिवार के सदस्य चलायें और जिसमें हाथ से या बिना बिजली के उपस्कर और तकनीकों से परम्परागत वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके। लोहार, बढ़ई, बुनकर, चमड़े का काम करने वाले और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले आदि परम्परागत देहाती कारीगरों में कौशल पर्याप्त मात्रा में है और उनमें उत्पादन वृद्धि तथा रोजगार बढ़ाने की बहुत सम्भावनाएं हैं। उदाहरण के लिए बुनकर न केवल सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ समाज है बल्कि आर्थिक दृष्टि से शोषित वर्ग भी है। यह इस समय देश का सबसे बड़ा शिल्पी वर्ग है। कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्पों को प्रोत्साहन देने की लोकदल की नीति इन लोगों की कठिनाई को दूर करने में बहुत सहायक होगी।

छोटा उद्योग वह उद्योग है जो बिजली से चलने पर 10 मजदूरों से अधिक और बिना बिजली के चलने पर 20 मजदूरों से अधिक को काम पर नहीं लगा सकता।

राष्ट्रीय हित में औद्योगिक ढाँचे को विनियमित करने की दृष्टि से विभिन्न उद्योगों का क्षेत्र निर्धारित करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा । इसका कानून ये है कि फ्री मार्किट में कम पूंजी प्रधान और अधिक श्रम प्रधान उद्योगों से प्राप्त मुनाफा इतना कम होता है कि आधुनिक मिल की ऊंची टेक्नोलोजी से बनी वस्तुओं का आमदनी की दृष्टि से मुकाबला नहीं कर सकता है । इस तर्क के अनुसार मिलों या कारखानों में इस समय ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है जिन्हें छोटे और कुटीर उद्योगों में बनाया जा सकता है उन्हें विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें धीरे-धीरे निर्यात के लिए उत्पादन करना होगा । ऐसी मिलों और कारखानों को, विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता करने के लिए सरकार की तरफ से हर सम्भव सहायता दी जाएगी । यदि वे विदेशों में प्रतियोगिता नहीं कर पायेंगे यो उन्हें धीरे-धीरे समाप्ता होने दिया जाएगा ताकि घरेलू बाजार छोटे और कुटीर उद्योगों के लिए सुरक्षित बना रहे । एक बार इस तरह का निर्णय लेने के बाद छोटे श्रम प्रधान उद्योग अविलम्ब रिक्त स्थान को भर देंगे ।

धन का केन्द्रीयकरण

पिछले वर्षों में चन्द व्यवसायिक घरानों में धन और आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण हुआ है । श्रीमती इन्दिरा गांधी के 10 वर्षों के शासन में ऊपर के 20 व्यावसायिक घरानों की आय में 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात उनके धन की मात्रा 1966 में 2,335 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1976 में 5,111 करोड़ हो गई । लोकदल धन के इस केन्द्रीयकरण को कम करने के लिए कृतसंकल्प है इसके लिए वह कई कदम उठायेगा जैसे उन पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिन्हें छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों में बनाया जा सकता है । मुनाफाखोरी को रोकने और उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार की नियामक शक्तियों का उपयोग, निगम और वैयक्तिक करों की खामियों को दूर करना, बड़े व्यावसायिक घरानों को लाइसेंस न देना और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देना आदि-आदि ।

आत्म-निर्भरता की भावना

लोकदल जनता में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की भावना भरेगा। अपने पांव पर खड़ा होने और अपनी राष्ट्रीय समस्याओं को अपनी प्रकृति तथा आर्थिक परिस्थितियों को सुलझाने का दृढ़ निश्चय ही हमें विश्व में आदर का स्थान दिला सकता है।

विदेशी ऋण और आर्थिक सहायता की जो राशि भारत सरकार को मिली वह मार्च 1951 में 32 करोड़ और मार्च 1956 में 318 करोड़ थी जब की मार्च 1978 में यह 20,556.4 करोड़ हो गई (इसका 8·7 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 27·7 प्रतिशत ऋण भुगतान के रूप में था)। 1978-79 में बजट में डाला गया सर्विस प्रभार भी 899·7 करोड़ था (इसमें से 609 करोड़ ऋण परिशोधन के रूप में और 290·6 करोड़ ब्याज की अदायगी के रूप में थे।)

विदेशी सहायता जिस भी रूप में हो हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक है। लोकदल का प्रयत्न होगा कि विदेशी सहायता की आवश्यकता को कम से कम रखा जाए।

बहुराष्ट्रीय और विदेशी सहयोग

विदेशी पूंजी हमारे देश के निजी निगम क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हुए है। ये अनुमान लगाया गया है कि आठवें दशक के शुरू के वर्षों में सभी विदेशी कम्पनियों का हिस्सा (40 प्रतिशत से अधिक इकिवटी वाली) निजी निगम क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत था। यदि उन विदेशी कम्पनियों को भी लिया जाए, जिन पर परोक्ष रूप से विदेशी नियंत्रण रहता है तो यह हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत हो जाता है। विदेशी पूंजी का कुल अन्तर प्रवाह 1964 के 890 करोड़ से बढ़कर 1974 में लगभग दुगना अर्थात 1,943 करोड़ हो गया। लाभांश, मुनाफा, तकनीकी जानकारी, शुल्क आदि के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये इस देश से ले जाने के बाद भी इन कम्पनियों की कुल परिसम्पत्ति 1974 में 2,922 करोड़ रुपये थी जिसमें से 1,348 करोड़ ऊंचा मुनाफा देने वाले उद्योगों में और 1,134 करोड़ रुपया व्यापार और सेवाओं में लगा था।

बड़े भारतीय व्यावसायिक घरानों के अंग के रूप में बड़ी विदेशी कम्पनियों के महत्व को इस बात से देखा जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ी 20 विदेशी कम्पनियों की कुल परिसम्पत्तियों में 138 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इसके अतिरिक्त कुछ विदेशी कम्पनियां राजनैतिक गतिविधियों में अनुचित रुचियाँ लेती हैं। दो अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने और एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने अदालतों में यह स्वीकार किया है कि वे विभिन्न परियोजनों के लिए एक अलग निधि रखती हैं जिसमें से भारत की राजनीतिक पार्टियों, मजदूर नेताओं और सरकारी अधिकारियों को पैसा दिया जाता है।

लोकदल इस देश की अर्थव्यवस्था से विदेशी कम्पनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कदम उठाएगा। विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां हम अपने पांवों पर खड़ा हो सकते हैं।

गांव में नवजीवन का संचार

भारत का एक कटु यथार्थ यह है कि यहां 5,75,000 गांव हैं जहां पर्याप्त आर्थिक सुविधायें नहीं हैं और जो 65 करोड़ जनसंख्या के 80 प्रतिशत को जीवन निर्वाह का साधन जुटाते हैं। इन गांवों को शहर की गन्दी बस्तियों के साथ रखा गया है जहां गर्मी और पसीने में जीने वाली जनसंख्या के दबाव ने उस शहरी जीवन को कुचल दिया है जो स्वतन्त्रता से पहले विद्यमान था।

ये कृषि आय और ग्रामीण रोजगारों के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी निर्माण बहुत धीमा हो रहा है। 1950-51, 1951-52 और 1652-53 में कृषि के सकल घरेलू पूंजी निर्माण और समग्र अर्थव्यवस्था का अनुपात क्रमशः 21.8 प्रतिशत, 23,4 प्रतिशत और 30,7 प्रतिशत था जबकि 1975-76, 1976-77, 19777-78 में यह अनुपात घटकर क्रमशः 13.4 प्रतिशत, 15.4 प्रतिशत और 16.1 प्रतिशत रह गया।

अंग्रेजों के जाने के समय शहर और गांव की आर्थिक स्थिति में दो असमानता थी, वह घटने के बजाय निरन्तर बढ़ती रही 1970-71 की कीमतों

के अनुसार कृषि मजदूर की आमदनी 1950-51 में 960 रुपये थी जो 1977-78 में 1340 रुपये हो गयी अर्थात 39.6 प्रतिशत, जबकि उसी अवधि में गैर कृषि श्रमिक की आय 1.713 रुपये से बढ़कर 4,630 रुपये हुई जो 170,3 प्रतिशत था। इस प्रकार कृषि मजदूर और गैर कृषि मजदूर वर्ग की प्रति-व्यक्ति आय का अनुपात 1950-51में 1:1.78 था जो 1978-78 में 1:3.46 हो गया।

लोकदल न केवल गांव और शहर की इन बढ़ती असमानताओं को रोकेगा बल्कि एक व्यापक ग्राम आन्दोलन को भी शुरू करेगा और ग्रामीण विकास केन्द्रों की स्थापना करेगा।

यह नव ग्राम आन्दोलन ग्रामीण भारत में नया जीवन, नयी आशा और सम्मान लाएगा और यहां समर्थ समाज का निर्माण करेगा जिसके लिए अच्छे मकान, साफ पानी, आधुनिक सफाई व्यवस्था, विश्वसनीय और सुविधाजनक बिजली की सप्लाई, परिवहन और संचार की पर्याप्त सुविधायें, जो उसे बड़े विश्व से जोड़ेगी, उचित स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाएं, ऋण और बाजार की सुविधायें उपलब्ध होगी। संस्कृति की दृष्टि से गांवों को सशक्त बनाया जाएगा और वहां जाति तथा भू:स्वामित्व या व्यवसाय के आधार पर जमींदारी भेद-भाव को समाप्त किया जाएगा।

नया गांव छोटे आधुनिक फार्मों और सम्पन्न वर्कशापों का केन्द्र होगा जो सभी को लाभदायिक और विभिन्न रोजगार प्रदान करेगा। इस बात की हर कोशिश की जाएगी कि अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि उद्योगों को आकृष्ट किया जा सके। किन्तु प्राथमिकता कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्पों के पोषण और पुनर्जीवन को दी जाएगी क्योंकि इसी से हमारे गांव की बेरोजगारी और अर्ध-रोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। पृथकता, गंदगी, निरक्षता और सड़ी-गली रूढ़ियां नहीं होंगी। महिलायें अपनी अस्मिता प्राप्त करेंगी। सूदखोर और बन्धक मजदूर नहीं रहेंगे।

शहरी नवीकरण

असंख्य गंदी बस्तियां विशेषकर बड़े शहरों में फाइव स्टार होटलों और

गगनचुम्बी इमारतों के साये में किसी भी समाज के लिए शर्म का विषय है। ये पूंजी से निर्धन और श्रम से सम्पन्न अर्थव्यवस्था के पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना का फल है। लोकदल उनकी दशा को सुधारना चाहता है। जिसके लिए वह उन्हें ऐसी तमाम न्यूनतम सुविधायें उपलब्ध करायेगा जो सभ्य जीवन के लिए आवश्यक हैं—जैसे सफाई की परिस्थितियां, प्रकाश, स्वच्छ पेय-जल, रहने की आवश्यक जगह आदि और आवश्यक हुआ तो वह उन्हें नए स्थानों में बसाएगा।

बड़े शहरों की वृद्धि पर रोक

बड़े महानगरों में जनसंख्या का भारी जमाव जो आवास, परिवहन, कानून-व्यवस्था आदि की अनेक समस्याओं का कारण बनता है, और न बढ़े, इसके लिए लोकदल उन शहरों में, जिनकी जनसंख्या 1971 में पांच लाख थी, पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगायेगा और अन्य कदम भी उठायेगा।

सहकारिता

लोकदल द्वारा प्रसारित छोटे फार्मों, कुटीर तथा छोटे उद्योगों को सहकारिता के सिद्धान्त से परस्पर सम्बद्ध किया जाएगा। यद्यपि लोकदल सहकारिता की उपयोगिता को पूरी तरह मानता है तथापि वह सहकारिता आन्दोलन को सरकारी विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली नीति का उचित विषय नहीं मानता। सहकारिता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ बने, इसके लिए ये जरूरी है कि इसकी प्रेरणा स्वयं लोगों में पैदा हो और वे इसे सामुहिक आवश्यकता की पूर्ति और आत्मसंतोष के साधन के रूप में अपनाए न कि आदेश कार्य के रूप में या सरकारी अथवा राजनैतिक निर्देश के अनुसरण के रूप में।

श्रमिक नीति

लोकदल अपनी श्रमिक नीति को इस प्रकार नया रूप देगा जिससे औद्योगिक शांति हो, बड़े उत्पादन के व्यवधान रुकें, उत्पादन कार्यकुशलता में वृद्धि हो तथा मजदूरों के प्रति दुर्व्यवहार तथा उनकी एक तरफा बर्खास्तगी का अन्त हो।

लोकदल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजदूर यूनियनों को संगठित करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है किन्तु साथ ही यह आशा भी करता है कि मजदूर अपनी इस महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग समाज के अहित में न करे।

लोकदल वेतनवृद्धि को उत्पादन वृद्धि से जोड़ने के लिए कदम उठायेगा।

लोकदल मानता है कि औद्योगिक उत्पादन के तन्त्र में अनुशासन भंग होने का एक बड़ा कारण है कि विभिन्न उद्योगों और व्यावसायिक संगठनों में चाहे वे सरकारी सेवाएं हों, सरकारी क्षेत्र के उद्योग हों या निजी उद्योग, उनमें राजनीति से प्रेरित अनेक मजदूर यूनियन होती हैं। लोकदल ऐसा कानून बनाएगा कि बड़ी संस्थाओं में प्रबन्धकों से सौदाबाजी करने के लिए एक संस्था में केवल एक ही यूनियन काम करे। यूनियन की मान्यता समय-समय पर गुप्त मतदान के आधार पर तय की जाएगी।

बाल मजदूरी और बन्धक मजदूरी पर तत्काल पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया जाएगा।

मानव तत्व का स्तर

किसी देश की कुल वास्तविक आय मोटे तौर पर श्रमिकों की कुल जनसंख्या और कार्यकुशलता तथा प्राकृतिक साधनों की मात्रा और स्तर का सापेक्ष फलन होती है। प्राकृतिक साधनों की मात्रा और स्तर ईश्वरप्रदत्त या प्रकृतिदत्त होता है जो मानव के बस से बाहर की चीज है किन्तु लोगों की कार्यकुशलता का स्तर (और उसकी संख्या भी) बहुत सीमा तक हमारे हाथ में है।

अतएव लोकदल ऐसी परिस्थितियों के निर्माण के लिए भरसक प्रयास करेगा जो हमारे लोगों की कार्यकुशलता को उन्नत करे।

मानसिक रवैये में परिवर्तन की आवश्यकता

लोकदल उन मूल्यों, अभिवृत्तियों और प्रेरणाओं में परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा जो आर्थिक-विकास के मार्ग में बाधा बनते हैं। उदाहरण के लिए संसार माया है और मनुष्य नियति का कठपुतला है। इस प्रकार की

अभिवृत्तियों के कारण हमारे समाज के बहुत बड़े भाग में अपने प्रयत्नों से अपनी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करने की प्रेरणा नहीं जागती।

लोगों को यह भी महसूस कराना पड़ेगा, जैसा महात्मा गांधी ने हमें सिखाया है कि अधिकार भली प्रकार किए गए कर्तव्यों से ही मिलते हैं। किसी भी राष्ट्र के पृथ्वी पर अथवा किसी व्यक्ति को बिना कुछ दिए कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकती। परिश्रम, अनुशासन, निष्ठा की कोई स्थान-पूर्ति नहीं हो सकती और टैक्सों की अदायगी से भी नहीं बचा जा सकता जिसका भार सब पर उचित रूप से वितरित किया जाता है।

शिक्षा

लोकदल निःशुल्क सार्वजनिक और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। जिससे लोग नये विचारों के संपर्क में आयें और ऐसी तकनीकी शिक्षा को संगठित करेगा जो छोटे से लेकर बड़े तकनीकी पद के लिए आवश्यक कर्मचारी तैयार करे।

माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाया जाएगा और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी संख्या में व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जायेंगे।

लोकदल प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में उचित सरकारी नियन्त्रण के हक में है ताकि शिक्षा के स्तर और शिक्षकों की सेवा-शर्तों में सुधार किया जा सके। किन्तु लोकदल विश्वविद्यालयों तथा उच्च-शिक्षा की संस्थाओं की शैक्षिक स्वतन्त्रता और स्वायत्ता को सुनिश्चित करेगा।

ऐसे कदम उठाए जायेंगे जिनसे अध्यापन के व्यवसाय की ओर अच्छे व्यक्ति आकृष्ट हों क्योंकि जब तक अच्छे अध्यापक नहीं होंगे तब तक हमारी नयी पीढ़ी के चरित्र में कोई सुधार नहीं लाया जा सकता।

वैज्ञानिक अनुसंधान

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि लोकदल वैज्ञानिक अनुसंधान को हर प्रकार का प्रोत्साहन देगा। कृषि अनुसंधान की तरफ सबसे अधिक ध्यान

दिया जायेगा। अनुसंधान की दिशा को औद्योगिक इकाइयों के विकेन्द्रीकरण, छोटे मशीनों के निर्माण, छोटी सौर ऊर्जा इकाइयों के निर्माण, परम्परागत औजारों में सुधार आदि की ओर भी मोड़ा जाएगा। यह भी जरूरी है कि अनुसंधान की दिशा को रक्षा की दृष्टि से मजबूत और स्वावलम्बी भारत बनाने की ओर मोड़ा जाए।

छात्र और राजनीति

शिक्षा-संस्थाएं ज्ञान के मन्दिर हैं और इन्हें अध्ययन, विद्वता, विचार-विमर्श और वैचारिक वैभिन्यता के केन्द्रों के रूप में काम करना चाहिए। इन्हें सत्ता की राजनीति के अखाड़े नहीं बनने देना चाहिए। तथापि छात्रों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खेल-कूद और शारीरिक-व्यायाम को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

भाषा-समस्या

प्रत्येक भाषा को विकास का अधिक से अधिक अवसर दिया जाएगा। कोई भी भाषा समाज के किसी भी वर्ग पर उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं थोपी जाएगी। जहां तक उर्दू का सम्बन्ध है, लोकदल यह मानता है कि उर्दू-भाषियों को अपनी लिपि को बनाए रखने का, और अपनी पसन्द की शिक्षा-संस्थाओं को चलाने का पूरा अधिकार है। लोकदल की सरकार सभी इच्छुक व्यक्तियों को उर्दू की शिक्षा देने के लिए हर संभव सुविधाएं जुटाएगी।

सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार

लोकदल इस बात का प्रयत्न करेगा कि एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक व्यवहार की दृष्टि से जाति-भाषा, प्रांत या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए ताकि राष्ट्र-प्रेम की भावना और समान-भाईचारे की भावना दिन-प्रतिदिन मजबूत हो। इसके साथ-साथ लोकदल इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि अल्प-संख्यक वर्ग अपने विशेष धर्म और जीवन-पद्धति के अनुसरण में पूरी तरह आश्वस्त हो। किसी समाज की सफलता उसके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सुख पर निर्भर करती है। किन्तु बहुसंख्यक जनता को यह भी नहीं महसूस होना

चाहिए कि अल्पसंख्यकों की प्रगति उनकी कीमत पर की जा रही है। यह संतुलन एक ऐसा खुला और न्यायपूर्ण समाज ही स्थापित कर सकता है जो कानून के शासन के अनुसार चले, योग्यता और सामाजिक न्याय, सभी को समान अवसर और कार्य तथा कार्यकुशलता की उचित मान्यता के सिद्धांतों पर खड़ा हो।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी

श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कानून में जो संशोधन किए गए थे उन्हें रद्द किया जाएगा।

जाति-प्रथा

लोकदल ऐसे सभी कदम उठाएगा जो हमारे समाज से जाति के शिकंजे को धीरे-धीरे ढीला करें और अन्ततः पूरी तरह समाप्त कर दे। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लोकदल अन्य बातों के साथ-साथ राजपत्रित सेवाओं की भर्ती में उन युवजनों को तरजीह देगा जिन्होंने अपनी जाति से बाहर शादी की है।

अनुसूचित जातियां और जनजातियां

लोकदल हरिजनों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, विशेष ध्यान देगा।

जहां तक उनकी आर्थिक स्थिति के सुधार का सवाल है, बड़ी जातों पर भूमि-सीमा लागू होने के बाद जो अतिरिक्त भूमि खेती-योग्य पाई जाएगी, और गांव के लोगों की जरूरतों अथवा राज्य की वन सम्बन्धी तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के बाद जो जमीन बचेगी, उसे हरिजनों को आबंटित किया जाएगा। किन्तु उनकी आर्थिक समस्याओं का अन्तिम समाधान (अन्य लाखों भूमिहीनों, बेरोजगारों और अर्ध-रोजगार में लगे व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान की तरह) इस बात पर निर्भर करता है कि श्रम-प्रधान उद्योगों, कृषि पर आधारित उद्योगों तथा अन्य गैर-कृषि-साधनों का विकास हो और यह विकास भी अधिक कृषि उत्पादन, हमारे मानसिक रवैयों में परिवर्तन या राष्ट्रीय मनोविज्ञान के परिवर्तन पर निर्भर करता है।

अनुसूचित जातियों और जन-जातियों को सरकारी सेवाओं में भर्ती में जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण पहले से ही मिला हुआ है। लोकदल का प्रस्ताव है कि इसी तरह का आरक्षण उन परमिटों और लाइसेंसों के आबंटन में भी दिया जाए जो सरकार दे सकती है लेकिन जिनके लिए तकनीकी कौशल की जरूरत नहीं पड़ती।

आदिम जातियों के हितों का संरक्षण

लोकदल चाहता है कि अनुसूचित जनजातियों के भूमि-सम्बन्धी और वन-सम्बन्धी अधिकारों की पूरी रक्षा हो। वन-नीतियों को आदिवासियों की कीमत पर नहीं बनाया अथवा कार्यान्वित किया जाएगा। जंगल के ठेकेदारों को भी इन सीधे-सादे लोगों का शोषण करने नहीं दिया जाएगा। वन-ग्रामों को राजस्व-ग्रामों में परिवर्तित किया जाएगा।

राजपत्रित सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण

हिन्दू और मुस्लिम दोनों के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की संख्या (अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) कुल जनसंख्या के आधे से ज्यादा है किन्तु देश के प्रशासनिक मानचित्र में उनका कोई स्थान नहीं है। इसलिए वे अन्याय और उपेक्षा की भावना के कारण असन्तुष्ट हैं।

यद्यपि लोकदल यह मानता है कि आरक्षण हमारी व्यवस्था की स्थाई विशेषता नहीं हो सकता, वर्तमान असमान सामाजिक-व्यवस्था में अवसरों में तरजीह दिए जाने की नीति का कोई विकल्प नहीं है। केन्द्रीय सरकार की सेवाओं की ग्रुप (क) और ग्रुप (ख) की नौकरियों में कम से कम 25% नौकरियाँ इन वर्गों के युवा लड़के-लड़कियों के लिए आरक्षित होनी चाहिएं। यह पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुरूप होगा जिसकी नियुक्ति भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत छठे दशक में की थी।

छोटे राज्य

लोकदल का विश्वास है कि प्रशासनिक कार्यकुशलता और त्वरित आर्थिक विकास के लिए छोटे राज्यों का बनाया जाना आवश्यक है।

सामाजिक सुरक्षा

वृद्ध, अशक्त, लावारिस, अपंग, सेवा-निवृत्त और अन्य प्रकार से शारीरिक रूप से अक्षम तथा बाधिक व्यक्ति जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके प्रति भी समाज का उत्तरदायित्व है। लोकदल ऐसी व्यापक सामाजिक बीमा योजना बनाएगा जिसमें वृद्धावस्था और अशक्तता की स्थिति में भरण-पोषण की व्यवस्था हो।

महिलाएं

हमारा महिला-समाज विभिन्न प्रकार के सामाजिक तथा अन्य अक्षमताओं का शिकार रहा है। लोकदल लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देगा और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के बोझ को कम करने के लिए धुआंरहित ईंधन, परम्परागत चूल्हों के सुधार, सुलभ-शौचालयों की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। हम उन विशेष समस्याओं को भी हल करेंगे जो नगर क्षेत्रों की महिलाओं के सामने उपस्थित होती हैं।

दहेज प्रथा सबसे बड़ा अभिशाप है। लोकदल कानून से, शिक्षा, तथा प्रचार से इस प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाएगा।

स्वास्थ्य

लोकदल देहाती क्षेत्रों में और जनसंख्या के सभी कमजोर वर्गों को, जिनमें शहरी गरीब शामिल हैं, स्वास्थ्य की सुविधायें जुटाने की ओर विशेष ध्यान देगा। यह प्रत्येक नागरिक तक सरल-चिकित्सा-सहायता पहुँचाने का प्रयत्न करेगा, जिसके लिए एक मेडिकल, पेरा-मेडिकल और सामुदायिक स्वास्थ्य-कार्यकर्त्ता का कैडर बनाया जाएगा जिसमें 'देशी-चिकित्सा-पद्धतियों' में प्रशिक्षित डाक्टर एक अंग के रूप में रहेंगे। यह काडर पिरामिड की शकल में होंगे। जिनके ऊपर परामर्श की सुविधा डिस्पेंसरी, अस्पताल और विशेषज्ञ-चिकित्सा-सेवाएं होंगी। बीमारियों की रोकथाम के उपायों, साफ पेय-जल की व्यवस्था, सफाई के कार्यक्रम, देहाती क्षेत्रों में रोग-निरोधक टीकों और सस्ती दवाइयों के उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाएगा।

लोकदल मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएगा।

मद्यनिषेध

शराब और अन्य मादक वस्तुओं का इस्तेमाल, अपराध, गरीबी, परिवारों के टूटने, स्वास्थ्य के बिगड़ने और नैतिक मूल्यों के क्षय का कारण बनता है। इसलिए सार्वजनिक रूप से शराब पीने पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाया जाएगा। शराब की बिक्री राज्य-मार्ग या राष्ट्रीय-मार्ग के तीन मील के अन्दर या रेल-गाड़ियों और वायुयानों में नहीं करने दी जाएगी। इनके बाहर मद्य-निषेध के लिए लोकदल शिक्षा और प्रचार का ही सहारा लेगा। पूर्ण मद्य-निषेध से अब तक शराब का अवैध धंधा करने वाले लोग लखपति बने हैं। जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों को धन दिया है।

किसी गांव या मुहल्ले के निवासियों को यह अधिकार होगा कि वे बहुमत से यह मांग करें कि शराब की कोई दुकान उस क्षेत्र में न खोली जाए या वर्तमान दुकान को बन्द किया जाए। राज्य सरकार बहुमत के इस निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगी।

परिवार नियोजन

लोकदल यह मानता है कि जहाँ कृषि और उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी उपाय किये जायें वहाँ वह इस बात के लिए भी कदम उठाएगा कि हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर काफी कम हो। जन्म-दर में कमी किए बिना कोई भी आर्थिक-उत्पादन हमारी गरीबी को समाप्त करने के लिए अथवा हमारे लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार लाने के लिए काफी नहीं होगा। तथापि जहाँ इस उद्देश्य के लिए कानून बनाया जाएगा वहाँ इसे आगे बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ जोर-जबरदस्ती का उपयोग नहीं किया जाएगा।

विदेश-नीति

लोकदल की विदेश-नीति राष्ट्र के जागरूक हितों और उसकी आकांक्षाओं तथा घरेलू प्राथमिकताओं को प्रतिबिम्बित करेगी। लोकदल सभी प्रकार के उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद और जातिवाद का विरोध करेगा। यह सभी

मूल्य : ४०

श्यामल बसु पब्लिसिटी सेक्रेटरी, लोकदल, १५ विन्डसर पैलेस
नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित ।